भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2067
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः-उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करना

2067. श्री देवेश शाक्यः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों की सहायता के लिए कोई विशेष योजना चला रही है;
(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनसे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;
(ग) क्या सरकार ने एटा, कासगंज और फर्रूखाबाद जैसे जिलों, जहां बड़े पैमाने पर तम्बाकू की खेती की जाती है, के किसानों के हित में कोई विशेष योजना कार्यान्वित की है; और
(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को कितना लाभ हुआ है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, देश में तम्बाकू/तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम/योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से किसानों को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश (तीन जिलों नामतः एटा, कासगंज और फर्रूखाबाद) सहित तम्बाकू उत्पादक राज्यों में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। सी.डी.पी. के तहत, तम्बाकू उत्पादक राज्यों को, किसी भी केंद्रीय प्रायोजित योजना/राज्य योजनाओं के तहत स्वीकृत लागत मानदंडों के अनुसार, तम्बाकू फसलों से वैकल्पिक कृषि/बागवानी फसलों में बदलाव के लिए उपयुक्त गतिविधियां/हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है।

भारत सरकार पीएम-आरकेवीवाई के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को अनुकूलता भी प्रदान कर रही है और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की मंजूरी से राज्य पीएम-आरकेवीवाई के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

*****